



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.2/क.अ./भशरै/स्थाना.पद./18/ 1317

जयपुर, दिनांक :- 22-3-18


आदेश

श्री भवानी शंकर रैगर, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, राजसमन्द का स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से पंचायत समिति, भोपालसागर (चित्तौड़गढ़) में तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।

श्री रैगर, कनिष्ठ अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल स्थानान्तरित/पदस्थापित पंचायत समिति में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना विकास अधिकारी के माध्यम से विभाग को भिजवायेंगे ।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेन्द्र शंखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूत्रनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग ।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. जिला कलैक्टर, राजसमन्द/चित्तौड़गढ़ ।
5. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द/चित्तौड़गढ़ ।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजसमन्द (राजसमन्द)/भोपालसागर (चित्तौड़गढ़) ।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. श्री भवानी शंकर रैगर, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, राजसमन्द (राजसमन्द) को पालनार्थ ।
9. गार्ड फाईल ।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव